LATEST

NEWS

Election

Date : 12th Dec. 2025

Office of Chief Electoral Officer Rajasthan

https:/election.rajasthan.gov.in/

Follow us on:

CEORAJASTHAN

हेल्पलाइन 1950

चुनाव आयोग : ड्राफ्ट रोल की समय-सीमा भी बढ़ाई

6 राज्यों में एसआइआर अवधि बढ़ी; एमपी में 7, यूपी में 15 दिन

नई दिल्ली@पत्रिका. चुनाव आयोग ने छह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) की समय सीमा को बढ़ा दिया है। आयोग के मुताबिक यह कदम मतदाता सूची को शुद्ध करने के लिए उठाया गया है। उत्तर प्रदेश में फॉर्म जमा करने की अवधि 15 दिन के लिए बढ़ाई गई है। वहीं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और अंडमान निकोबार में 7 दिन की अतिरिक्त मोहलत दी गई है। इस वृद्धि के साथ ही ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी होने की अवधि भी बढ़ा दी गई है।

एसआइआर की संशोधित तिथियां

राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	फॉर्म जमा कराने की तिथि	ड्रॉफ्ट रोल
1. तमिलनाडु	14 दिसंबर	19 दिसंबर
2. गुजरात	14 दिसंबर	19 दिसंबर
3. मध्य प्रदेश	18 दिसंबर	23 दिसंबर
4. छत्तीसगढ़	18 दिसंबर	23 दिसंबर
5. अंडमान एवं निकोबार	18 दिसंबर	23 दिसंबर
6. उत्तर प्रदेश	26 दिसंबर	31 दिसंबर

दैनिक भास्कर
जयपुर 12-12-2025

राजस्थान में SIR का काम पूरा
यूपी समेत 6 राज्यों में बढ़ाई एसआईआर की समयसीमा

नई दिल्ली | निर्वाचन आयोग ने गुरुवार को 6 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की समयसीमा बढ़ा दी है। आयोग ने एक बयान में बताया कि तमिलनाडु और गुजरात में अब यह सर्वे 14 दिसंबर तक चलेगा और ड्राफ्ट वोटर लिस्ट 19 दिसंबर को जारी की जाएगी। वहीं, मप्र, छत्तीसगढ़ और अंडमान-निकोबार में सर्वे की नई अंतिम तारीख 18 दिसंबर होगी। ड्राफ्ट लिस्ट 23 दिसंबर को जारी होगी। यूपी में प्रक्रिया अब 26 दिसंबर तक चलेगी और ड्राफ्ट वोटर लिस्ट 31 दिसंबर को प्रकाशित की जाएगी। गोवा, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, राजस्थान और प. बंगाल में वोटर लिस्ट संशोधन का काम गुरुवार को पूरा हो गया।

प्रदेश में एसआईआर समाप्त, 16 दिसंबर को जारी होगी ड्राफ्ट मतदाता सूची

चुनाव आयोग ने 5 राज्यों व एक केन्द्र शासित प्रदेश में एसआईआर की तारीख बढ़ाई

- **राजस्थान के अलावा गोवा, पुड्डूचेरी लक्षद्वीप और प.बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया 11 दिसंबर को समाप्त हो गई। इन राज्यों की ड्राफ्ट मतदाता सूची 16 दिसंबर को जारी होगी।**
- **जिन राज्यों में एसआईआर की अवधि बढ़ाई गई है, उनमें तमिलनाडु, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और अडमान-निकोबार प्रमुख हैं।**

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 11 दिसम्बर। चुनाव आयोग ने आज बताया कि वोटर सूची की सफाई करने के लिए चलाए जा रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान की अवधि पाँच राज्यों और एक केन्द्र शासित प्रदेश में बढ़ा दी गई है। ये हैं- तमिलनाडु, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और अंडमान-निकोबार द्वीप समूह।

गोवा, पुड्डूचेरी, लक्षद्वीप, राजस्थान और पश्चिम बंगाल के लिए गणना (एन्यूमरेशन) की अवधि 11 दिसंबर को समाप्त हो गई और चुनाव आयोग ने इन राज्यों के लिए समय की कोई बढ़ोतरी नहीं की। चुनाव आयोग ने कहा कि इन चार राज्यों की ड्राफ्ट मतदाता सूचियाँ 16 दिसंबर को प्रकाशित की जाएँगी।

बिहार के बाद, अगला बड़ा राजनीतिक टकराव भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) और विपक्षी दलों के बीच बंगाल में होगा, जहाँ अगले वर्ष की शुरुआत में चुनाव होने वाले हैं।

गणना की संशोधित समय सीमा इस प्रकार हैं: तमिलनाडु और गुजरात में 14 दिसंबर; मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ और अंडमान-निकोबार में 18 दिसंबर; और उत्तर प्रदेश में 26 दिसंबर।

ड्राफ्ट मतदाता सूचियों के प्रकाशन की नई तिथियाँ हैं: तमिलनाडु और गुजरात के लिए 19 दिसंबर; मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और अंडमान-निकोबार के लिए 23 दिसंबर; और उत्तर प्रदेश के लिए 31 दिसंबर।

इस अवधि -बढ़ोतरी से पहले, चुनाव आयोग ने केरल का कार्यक्रम भी बदला था, जहाँ गणना 18 दिसंबर को समाप्त होगी और ड्राफ्ट मतदाता सूची 23 दिसंबर को प्रकाशित होगी।

यह बढ़ोतरी विपक्षी दलों की कड़ी आलोचना के बीच आई है। विपक्ष का आरोप है कि चुनाव आयोग ने अव्यावहारिक समयसीमा लागू की है, जिससे बूथ लैवल ऑफिसर (बीएलओ) पर भारी बोझ पड़ रहा है और मतदाताओं को भी परेशानी हो रही है।

कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, सीपीआई (एम) और समाजवादी पार्टी ने एक सर्वदलीय बैठक में कहा कि चुनाव आयोग ने ज़मीनी हकीकतों को नज़रअंदाज़ किया और जल्दबाज़ी में संशोधन का कार्यक्रम आगे बढ़ाया।

कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने आयोग से 2003 के पुनरीक्षण में इस्तेमाल किए गए अधिक व्यापक कार्यक्रम को अपनाने की मांग की और चेतावनी दी कि संसद में एसआईआर पर चर्चा न करना यह दिखाता है कि सरकार संसद को चलने देने की इच्छुक नहीं है।

इस सप्ताह की शुरुआत तक, चुनाव आयोग के आँकड़ों के अनुसार, 50.8 करोड़ गणना फ़ॉर्म डिजिटाइज़ किए जा चुके थे। करीब 23.22 लाख फ़ॉर्म अभी भी लंबित हैं। एसआईआर

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'अगर एसआईआर में नाम कटे तो रसोई के औज़ार लेकर मुकाबला करना'

प.बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एसआईआर कवायद पर महिलाओं को उकसाते हुए तीखी टिप्पणी की

- ममता बनर्जी ने कहा कि आपके पास ताकत है, अगर वे आपका नाम काटें तो बर्दाश्त नहीं करना।
- बनर्जी ने कहा, मैं देखना चाहती हूँ, कौन ज्यादा ताकतवर है, बंगाल की महिलाएं या भाजपा।
- बनर्जी ने कहा, जब भी चुनाव आते हैं, भाजपा दूसरे राज्यों से लोगों को लाती है, पैसा खर्च करती है और लोगों को बांटती है।

- जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 11 दिसंबर। चुनावाधीन पश्चिम बंगाल में स्पेशल इन्टैन्सिव रिवीजन को लेकर तृणमूल कांग्रेस की नेता और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अत्यंत तीखी टिप्पणी की और पश्चिम बंगाल के कृष्णनगर में गुरुवार को राज्य की महिलाओं से कहा कि अगर उनके नाम मतदाता सूची की समीक्षा के दौरान हटाये जाएं तो वे रसोई के उपकरणों के साथ तैयार रहें।

बंगाल के कृष्ण नगर की एक जनसभा में बनर्जी ने कहा, "क्या आप एसआईआर के नाम पर माताओ और बहनो के अधिकार छीनेंगे? वे चुनाव के दौरान दिल्ली से पुलिस लाएंगे और माताओ और बहनो को डराएंगे। माताओ और बहनो, अगर आपके नाम काटे जायें, तो आपके पास रसोई के उपकरण हैं ना। वे उपकरण, जिनका इस्तेमाल आप खाना पकाने में करती हैं। आपके पास ताकत है, ना? अगर आपके नाम काटे जाते हैं तो आप इसे बर्दाश्त नहीं करेंगी, है ना? महिलाएं आगे लड़ेंगी, और पुरुष उनके पीछे रहेंगे।"

उन्होंने यह भी कहा कि वे देखना चाहती हैं कि कौन अधिक शक्तिशाली है: महिलाएं या भाजपा। "मैं साम्प्रदायिकता में विश्वास नहीं करती। मैं धर्मनिरपेक्षता में विश्वास करती हूं। जब भी चुनाव आता है, भाजपा पैसा इस्तेमाल करने और दूसरे राज्यों से लोगों को लाकर जनता को विभाजित

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

EC extends timeline for SIR in 5 states & 1 UT, final rolls in Feb

New Delhi: Following requests from chief electoral officers, Election Commission revised Thursday the schedule for the ongoing special intensive revision (SIR) of poll rolls in five states and a UT.

The last date to submit enumeration forms in Tamil Nadu and Gujarat has now been fixed as Dec 14, while the draft electoral rolls will be published on Dec 19. The exercise will conclude on Dec 18 in MP, Chhattisgarh and Andaman & Nicobar Islands, while their draft rolls will be published Dec 23. The final date for the submission of enumeration forms and the publication of draft electoral roll in UP has been decided as Dec 26 and Dec 31, respectively.

In the earlier revised schedule, the enumeration period for the five states and the UT was until Dec 11 and publication of the draft electoral rolls was Dec 16.

"In order to ensure that no eligible elector is left behind, new electors are being encouraged to fill up Form 6 along with the declaration and submit them to BLOs, or fill the form and declaration online... to get their names included in the final electoral rolls, which will be published in Feb 2026," EC stated. TNN

▶BLO dies in Kotputli-Behror district, P 3

▶Continued on P 9

Can't be copy-paste of earlier list: SC

Hearing a petition challenging the validity of the SIR process, Supreme Court said the drive, being carried out after more than two decades, cannot be a "copy-paste" of earlier voter lists and, logically, EC's enumeration would include an inquisitorial process to ascertain, not determine, citizenship. P 9

Bengal draft poll rolls will be out on Dec 16: EC

▶ Continued from P1

EC said the enumeration period for Goa, Gujarat, Lakshadweep, Rajasthan and WB ended as per previous revised schedule on Dec 11, and the draft electoral rolls will be published on Dec 16. The schedule for Kerala was revised earlier, and the enumeration period for the state will end by Dec 18, with the draft electoral roll being published on Dec 23.

The poll panel had stated Wednesday that CEOs of all states and UTs where SIR was under way will ensure that booth-wise lists of voters marked as absent, shifted, or dead/duplicate are shared with booth-level agents of political parties before the publication of draft rolls. The list will include the names of electors who could not be contacted even after three or more visits by booth-level officers.

Teachers protest tight exam deadline on top of SIR duties

TIMES NEWS NETWORK

Jaipur: Govt school teachers across Rajasthan have raised strong objections to the education department's directive to complete evaluation of half-yearly exams and upload marks on Shala Darpan by Dec 15, calling the timeline unrealistic amid their ongoing SIR duties.

Teachers said they have been occupied with SIR work for weeks, and many were relieved only after the last date for filling enumeration forms Thursday. They argue that three days is not enough to check answer sheets and enter marks.

"Teachers were busy with SIR work for the past month, and some teachers have still not been relieved from the duties of booth level officers. Those teachers who were relieved from SIR duties and have rejoined their schools should be given time for checking answer sheets and entering marks. Orders are being issued and deadlines assigned without understanding the difficulties of teachers," said Ranjeet Meena, State President of Rajasthan Shikshak Sangh (Ekikrit).

Picture for representation

Teachers have to complete the evaluation of half-yearly exam papers and upload marks on Shala Darpan portal by Dec 15

The education directorate's Dec 4 order instructs schools to prepare results for Classes 9 and 11 and begin sending internal marks for Classes 10 and 12. It further stated, "...ensure that the evaluation of all answer sheets related to the half-yearly examinations is completed by Dec 15, 2025, and that the relevant marks are updated on Shala Darpan. A certificate to this effect should be obtained from the subordinate District Education Officer (Headquarters) Secondary and sent to this office's email ID: massecondary@gmail.com."

The order also notes that all class syllabi must be completed by Jan 31, as the state plans to conduct final exams in Feb and begin the new session on April 1.

TIMES VIEW: Rajasthan education department's directive for teachers to complete exam evaluations and upload marks by Dec 15 is impractical, given their recent SIR duties. Teachers, overwhelmed by overlapping responsibilities, argue that the timeline fails to consider their workload and the ongoing state-level commitments. The department must reassess deadlines, acknowledging teachers' constraints and ensuring realistic timelines that accommodate their dual roles. Effective policy should prioritise feasible expectations, fostering a supportive environment for educators and enhancing student outcomes.

BLO dies in Kotputli; toll rises to five in Rajasthan

Jaipur: A 42-year-old booth level officer (BLO) involved in SIR was found dead in Rajasthan's Kotputli under mysterious circumstances, taking the number of such fatalities to five in the state since the exercise began over a month ago.

Police quoted Vijay Gurjar's family as saying the govt school teacher was walking back home on Wednesday in Pithawali ki Dhani village when he had a "fall". "The family filed a report that the deceased suffered injuries," ASP Rajendra Kumar said, adding Gurjar was taken to a local hospital where he succumbed to his injuries.

Police claimed the family informed them only after the BLO was taken to hospital. "We are waiting for the post-mortem report to ascertain the cause of death," another officer said.

Sources said the family insisted it was from a "fall". "Police were not called to the scene at the time the incident took place," said the officer. In the previous cases, three BLOs had died from alleged cardiac arrests and another by suicide. Most of their families had blamed "stress" from SIR work. TNN

Poll panel extends SIR deadline

draft roll will be published on December 23.

In a statement, the EC said it had revised the schedule "based on the requests received from the Chief Electoral Officers of the 6 states/UT".

However, in another statement Thursday, EC data showed that in five of the six states/UT, enumeration work had been completed, with 100% digitisation of enumeration forms. Only Uttar Pradesh, out of the six states/UT that got extensions, was below 100%, with 99.61% forms digitised.

The EC did not extend the deadline in West Bengal and Rajasthan where the digitisation was 99.96% and 99.64%, respectively. As per its earlier schedule, the EC was to publish the final electoral rolls on February 14, 2026. Thursday's announcement did not mention the date for the final roll publication, however, sources said that too would be adjusted and announced separately.

EC sources said the states had requested for more time for re-verification of the draft roll. The authorities have this week shared the list of the electors marked absent, dead and shifted with Booth Level Agents of political parties to verify the same, the sources said. On Wednesday, the EC had said in a statement that the lists were being shared with parties "to ascertain the exact status of each such elector on the ASD list, so that any error can be rectified before the publication of the draft electoral rolls itself".

Now, Tamil Nadu and Gujarat electors have time until Sunday, December 14 to submit forms; and the draft roll will be published on December 19, as per the new schedule. The deadline for enumeration in Madhya Pradesh, Chhattisgarh and Andaman and Nicobar Islands has been extended to December 18, while publication of the draft roll will be on December 23. Uttar Pradesh has been given the longest extension of two weeks, with the enumeration deadline pushed to December 26 and the draft publication to December 31.

Tamil Nadu election officials confirmed that the state had sought a brief extension to complete a final round of meetings with booth-level officers and other staff, according to the Chief Electoral Officer's office. On the progress of the voter roll update, the office said that roughly 3-4 per cent of entries remained unmapped, with a clearer picture expected only after the next phase of verification.

Uttar Pradesh Chief Electoral Officer Navdeep Rinwa said a two-week extension had been requested to complete the SIR process and to prepare an accurate electoral roll, so that District Election Officers could reverify the lists of the voters marked deceased, shifted and absent.

An official in Gujarat, however, said the state had not requested for an extension. "The twelve states have different requirements but there was no such deadline extension request from our side as we have completed the form collection process, largely before December 4," a senior Gujarat government official told The Indian Express, adding that the extra time would allow officials to look for those electors who have not been traced so far and to re-check the details of those above the age of 85 years.

For the remaining states/UT (Goa, Puducherry, Lakshadweep, Rajasthan and West Bengal), the enumeration ended Thursday and the draft will be published on December 16.

"In order to ensure that no eligible elector is left behind, new electors are being encouraged to fill up the Form 6 along with the declaration and submit them to the BLOs or fill the form and declaration online using the ECINet App/website https://voters.eci.gov.in/ to get their names included in the final electoral rolls, which will be published in February 2026," the EC said.

The poll panel had announced the SIR for nine states and three UTs on October 27, with the original deadline for submitting forms as December 4 and publication of draft rolls on December 9. The final electoral roll for all 12 states/UTs was to be published on February 7. The EC on November 30 extended the deadlines by one week.

According to the EC's instructions, electors have to trace themselves or any adult relative to the electoral roll of the last intensive revision, which was done in the early 2000s. All those who are unable to provide the extract of the electoral roll of the last intensive revision with their name or a relative's name will receive a notice after the draft roll is published and be asked to appear for a hearing before the Electoral Registration Officer. They will then be asked to submit documents to establish their eligibility. Sources said the process of matching the existing electors with the previous rolls is still ongoing.

The EC ordered the SIR for the whole country on June 24, starting with Bihar as Assembly elections were due in the state. The exercise involves all registered electors submitting enumeration forms in a specified time in order to remain on the draft roll, after which certain categories of electors are asked to provide documents to prove eligibility, including citizenship, to be included in the final roll.

In the past 20 years, the electoral rolls have been revised annually and before elections by making changes to the existing lists, as opposed to preparing them afresh in an intensive revision.

The exercise has been challenged in the Supreme Court and has led to disruptions in Parliament, with the Opposition raising concerns that it will lead to disenfranchisement of genuine electors.

– (WITH ARUN JANARDHANAN IN CHENNAI, MAULSHREE SETH IN LUCKNOW AND RITU SHARMA IN AHMEDABAD)

EC extends timeline for SIR in 5 states & 1 UT, final rolls in Feb

New Delhi: Following requests from chief electoral officers, Election Commission revised Thursday the schedule for the ongoing special intensive revision (SIR) of poll rolls in five states and a UT.

The last date to submit enumeration forms in Tamil Nadu and Gujarat has now been fixed as Dec 14, while the draft electoral rolls will be published on Dec 19. The exercise will conclude on Dec 18 in MP, Chhattisgarh and Andaman & Nicobar Islands, while their draft rolls will be published Dec 23. The final date for the submission of enumeration forms and the publication of draft electoral roll in UP has been decided as Dec 26 and Dec 31, respectively.

In the earlier revised schedule, the enumeration period for the five states and the UT was until Dec 11 and publication of the draft electoral rolls was Dec 16.

"In order to ensure that no eligible elector is left behind, new electors are being encouraged to fill up Form 6 along with the declaration and submit them to BLOs, or fill the form and declaration online... to get their names included in the final electoral rolls, which will be published in Feb 2026," EC stated. TNN

▶BLO dies in Kotputli-Behror district, P 3

▶Continued on P 9

Can't be copy-paste of earlier list: SC

Hearing a petition challenging the validity of the SIR process, Supreme Court said the drive, being carried out after more than two decades, cannot be a "copy-paste" of earlier voter lists and, logically, EC's enumeration would include an inquisitorial process to ascertain, not determine, citizenship. P 9

REVISION OF ELECTORAL ROLLS

Poll panel extends deadline for SIR in five states and one UT

Damini Nath
New Delhi, December 11

FOR THE second time since October when it announced the schedule for the Special Intensive Revision of electoral rolls, the Election Commission Thursday extended the deadline for electors in five states – Tamil Nadu, Gujarat, Madhya Pradesh, Chhattisgarh and Uttar Pradesh – and the Union Territory of Andaman and Nicobar Islands to submit enumeration forms in the ongoing exercise by three to 14 days.

Thursday was scheduled to be the last day of enumeration of electors in the SIR for eight states and three UTs, while Kerala had earlier been given an extension until December 18. The draft electoral roll for all states and UTs, except for Kerala, was scheduled to be published on December 16. Kerala's

»CONTINUED ON PAGE 2

E. EXPLAINED

What voter has to do

Electors have to trace themselves or any adult relative to last intensive revision roll in early 2000s. Those unable to provide the extract will get a notice after draft roll is out. They will have to submit documents.

विचार बिन्दु

कुटुंब की चिंता से परेशां व्यक्ति की कुलीनता, शील और गुण कच्चे घड़े में रखे पानी की तरह है। –संस्कृत सूक्ति

एसआईआर के सम्बन्ध में चुनाव आयोग का संवैधानिक दायित्व तथा इस प्रक्रिया को कार्यान्वित करने वालों का कर्त्तव्य

देश में लोकतंत्र है और लोकतंत्र की सफलता शुद्ध त्रुटिहीन मतदाता सूची पर निर्भर है। भारत के संविधान में चुनाव आयोग को एक संवैधानिक संस्था का दर्जा दिया है। संवैधानिक के अनुच्छेद 324 में सांसदों और विधायकों के संवैधानिक पदों पर निर्वाचन के लिये मतदाता सूची को तैयार करने व निर्वाचन को संचालित करने, निर्देशन और नियंत्रण का पूर्ण अधिकार/कर्तव्य दिया है। अनुच्छेद 326 में यह स्पष्ट कर दिया है कि मतदान करने का अधिकार केवल नागरिकों को दिया है।

एसआईआर की सम्पूर्ण प्रक्रिया बिहार में पूरी हो चुकी है और बिहार के चुनाव भी शान्ति के साथ पूरे हो चुके है। फिर भी एसआईआर के विषय में उसकी वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर बहस चल रही है। हाँ सुप्रीम कोर्ट की खण्डपीठ ने बहस के दौरान स्पष्ट शब्दों में कहा है कि चुनावों की असंगति की कोई शिकायत अभी तक किसी भी मतदाता ने या याचिकाओं के प्रार्थियों ने चुनाव आयोग के समक्ष अथवा चुनाव याचिका के माध्यम से पेश नहीं की है।

देश में सभी राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया प्रारम्भ हो चुकी है। इसकी वैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकायें पेश हो चुकी है। इन सब में वही कानूनी बिन्दु उठाये गये है जो बिहार के केस में थे। यह भी सत्य है कि नई याचिकाओं में वैधता की चुनौती के अतिरिक्त कर्मचारियों की कार्यशैली की कई शिकायतें पाई गई है। कई बीएलओ की हार्ट अटैक से मौतें भी हुई है और कुछ कर्मचारियों ने वर्कलोड को लेकर आत्महत्या की है, कुछ व्यक्ति कार्य के बोझ से मानसिक रूप से पीड़ित बतलाये गये हैं।

बिहार की याचिकाओं में जो कानूनी प्रश्न उनकी वैधताओं के बाबत उठाये थे वे भी पुनः नये केसों में उठाये गये है। यह प्रश्न उठाया गया है कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है अतः उसके कार्य के सम्बन्ध में Judicial Review नहीं हो सकता तथा स्पेशल रेफरेन्स केस में जो राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट को गवर्नर के अधिकारों को लेकर, प्रश्नों द्वारा उनकी समीक्षा चाही थी उस केस के आदेश/उत्तर में माननीय कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि गवर्नर का पद संवैधानिक पद है और इनके निर्णय जुडिशियल रिव्यू से परे है।

एसआईआर का विवाद कोर्ट में है, यही विवाद सड़कों पर भी जुलूस व नारों के रूप में देखा जा सकता है तथा संसद में भी वर्तमान सत्र में सुनने को मिला है। न्यूज पेपर भी ऐसे विवाद की चर्चाओं से भरे हुये है।

शीघ्र निर्णय की प्रतीक्षा में जनता टकटकी देख रही है। समय-2 पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कुछ आदेश ऐसे दिये हैं उनसे राहत अवश्यक मिली है। इस समस्या का हल सुप्रीम कोर्ट को ही निकालना है। राहत का यह कार्य माननीय कोर्ट निर्णय, आदेश व निदेशनों के माध्यम से कर रही है।

चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है उसे चुनावों के सम्बन्ध सम्पूर्ण अधिकार व दायित्व दिये गये हैं। संविधान के अनुच्छेद 324 में इसका विशद उल्लेख है तथा अनुच्छेद 324(6) में यह व्यवस्था है कि जब निर्वाचन आयोग ऐसा अनुरोध करे तब राष्ट्रपति या राज्य का राज्यपाल निर्वाचन आयोग या प्रादेशिक आयुक्त को उतने कर्मचारी वृन्द उपलब्ध करायेगा जितने अनुच्छेद 324 के खण्ड (1) द्वारा निर्वाचन आयोग को सौंपे गये कृत्यों के निर्वहन के लिये आवश्यक है। विधानसभा के चुनाव कराने के हेतु राज्यपाल यह कार्य उनकी सरकार के माध्यम से कराते है। इस प्रकार एसआईआर की प्रक्रिया को कार्यान्वित करने क हेतु राज्य सरकार अथवा इलेक्शन कमीशन द्वारा भेजे गये राज्य कर्मचारी (बीएलओ) है, जिनकी ड्यूटी है कि वे अपने कर्तव्य का निर्वाहन करें।

सुप्रीम कोर्ट की खण्डपीठ, जो मुख्य न्यायाधीश सूर्यकान्त व न्यायाधीश जॉय माल्या से गठित है, उसने तमिलगा वजगम बनाम इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया व अन्य के केस WP(C) NO.1157/2025 में बीएलओ द्वारा ड्यूटी के सम्बन्ध उठाई गई दिक्कतों के सम्बन्ध में कुछ निदेशन दिये हैं वे महत्वपूर्ण हैं और उचित कदम उनके निराकरण के हेतु राज्य सरकार/चुनाव आयोग को उठाने ही चाहिये। ये अन्तरिम निदेशन हैं, क्योंकि अन्तिम निर्णय तो बहस पूरी सुनने के बाद ही दिये जावेंगे। माननीय खण्डपीठ ने जो अन्तरिम निदेशन दिये हैं वे संक्षेप में निम्नलिखित है:-

> **संविधान के अनुच्छेद भारत के नागरिक को वयस्क मताधिकार के आधार पर मतदान का अधिकार है। अतः बांग्लादेश से अथवा म्यांमार से भारत में आये हुये व्यक्ति मतदान का अधिकार क्लेम नहीं कर सकते, आधार कार्ड, नागरिकता का प्रमाण नहीं है। ऐसे कई प्रश्न हैं, जिनका निर्णय माननीय सुप्रीम कोर्ट को करना है। बंगाल एसआईआर का प्रथम चरण लगभग पूरा हो चुका है।**

(1) जो कर्मचारी राज्य सरकार/राज्य चुनाव आयोग ने एसआईआर की प्रक्रिया के तहत् चुनाव सम्बन्धित कानूनी प्रावधानों के तहत् अपनी ड्यूटी निभाने के हेतु डेपुट किये है, उनका यह कर्तव्य कि वे अपनी ड्यूटी का निर्वाहन करें।

(2) यदि कोई बीएलओ (कर्मचारी), किसी विशिष्ट कारण से अपनी ड्यूटी उपस्थिति से Exemption की प्रार्थना करता है तो सक्षम अधिकारी कर्मचारी के प्रार्थना पर विचार करेगा और उसके स्थान पर किसी अन्य कर्मचारी को ड्यूटी पर लगायेगा, ऐसी प्रत्येक स्थिति पर अलग से विचार होगा, किन्तु इसका यह अर्थ नहीं होगा कि सक्षम अधिकारी ने उसके स्थान पर नये कर्मचारी को नहीं लगाया है तो वह व्यक्ति यह अर्थ नहीं लगायेगा कि उसे अधिकारी ने पंजीकृत कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्देशन में यह स्पष्ट कहा है कि राज्य को कर्मचारी को ड्यूटी पर लगाना वैधानिक कर्तव्य है और राज्य की यह भी ड्यूटी है कि चुनाव के कार्य को पूरा करने के हेतु कर्मचारियों की संख्या में कमी अथवा बढ़ोत्तरी करे।

(3) माननीय कोर्ट ने यह भी माना है कि जिन व्यक्तियों (कर्मचारियों) की मृत्यु नौकरी के समय एसआईआर प्रक्रिया के निर्वाहन के समय हुई है, उन्हें क्या हर्जाना मिलेगा, इस बाबत तत्सम्बन्धित व्यक्ति (Aggrieved person) अथवा पिटीशनर बाद में प्रार्थना पत्र पेश कर सकते हैं।

(4) पिटीशनर TVK के वरिष्ठ एडवोकेट ने कोर्ट के समक्ष चिन्ता व्यक्त की कि ऐसे बीएलओ के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही धारा 32 आर पी एक्ट के तहत् की जा रही है जिन्हें एसआईआर प्रक्रिया की समुचित ट्रेनिंग ही नहीं दी गई है, इस प्रकार बीएलओ के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करना Coercive Action है। कई उदाहरणों के द्वारा अपनी बात को रखते हुये सुयोग अधिवक्ता ने कहा कि यह बीएलओ ने छुट्टी के हेतु प्रार्थना पत्र दिया कि उसकी शादी होने वाली है, उसे निलम्बित कर दिया गया और निराशा की स्थिति में उस कर्मचारी ने आत्महत्या कर ली। खण्डपीठ ने कुछ ही शब्दों में बहुत बड़ी बात कह दी। कोर्ट का इशारा था कि दण्डात्मक कार्य भी ऐसी परिस्थितियों में अमानवीय है, सक्षम अधिकारी में मानवीय संवेदना तो होनी चाहिए, उसे ऐसा करने से गुरेज करना चाहिये।

(5) मुख्य न्यायाधीश सूर्यकान्त ने कहा कि यह सच है चुनाव आयोग स्वंय कार्य नहीं कर सकता और यही कारण है उसे राज्य के कर्मचारियों से यह काम कराना होता है, अतः राज्य को अपने कर्त्तव्यों की पालना करनी है, इसलिये यदि किसी व्यक्ति को कोई कठिनाई है तो उसे ड्यूटी से छूट दी जानी चाहिये। एफआईआर रजिस्टर कैसे की जा सकती है? विलम्ब हो सकता है, मुख्य न्यायाधीश ने कहा जल्दी क्या है?

चुनाव आयोग के वरिष्ठ एडवोकेट मनीन्दर सिंह ने कहा कि तामिलनाडु में 90% फॉर्म दिये जा चुके हैं तथा क्रिमिनल प्रक्रिया उसी स्थिति में चालू की है जहां बीएलओ ने जान-बूझकर अपनी ड्यूटी देने से मना किया था।

ये कुछ निर्देश सुप्रीम कोर्ट की खण्डपीठ ने दिये है। आशा है भविष्य में ऐसी कोई अप्रिय घटना नहीं होगी और एसआईआर की प्रक्रिया मानवीय संवेदना के साथ संवैधानिक व चुनाव कानून के अनुसार पूरी की जावेगी।

चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है और सभी नागरिकों का पावन कर्तव्य है कि वे अनुच्छेद 51क(क) में दिये गये मूल कर्तव्यों के अनुसार उसकी करें। एसआईआर की प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार सम्पन्न कराना चुनाव आयोग का संविधान कर्तव्य है। संविधान के अनुच्छेद भारत के नागरिक को वयस्क मताधिकार के आधार पर मतदान का अधिकार है। अतः बांग्लादेश से अथवा म्यांमार से भारत में आये हुये व्यक्ति मतदान का अधिकार क्लेम नहीं कर सकते, आधार कार्ड, नागरिकता का प्रमाण नहीं है। ऐसे कई प्रश्न हैं, जिनका निर्णय माननीय सुप्रीम कोर्ट को करना है। बंगाल एसआईआर का प्रथम चरण लगभग पूरा हो चुका है। 7.6 करोड़ मतदाताओं के नामों का डिजिटिकरण हो चुका है। 28 से 30 लाख मतदाता को सक्षम अधिकारी के समक्ष साबित करना होगा उन्हें मतदान का अधिकार है क्योंकि उनके नाम के प्रमाण 2002 की मतदाता सूची से मेल नहीं खाते। इन्हें नोटिस दिये जा चुके है। 54.6 लाख मतदाता ऐसे हैं जिनका कोई पता नहीं है, वे मृतक भी हो सकते हैं अथवा कई डुप्लीकेट नाम है।

सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिमी बंगाल के बीएलओ के साथ असहयोग करने वालों के विरूद्ध सख्त अभिव्यक्ति की है और सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि यदि हालात बिगड़े तो संविधान चुनाव आयोग को अधिकार देता है कि राज्य पुलिस को अपने अधिकार में ले सकता है।

सुप्रीम कोर्ट देशभर में होने वाली एसआईआर प्रक्रिया पर विचार कर रही है। चुनावों व एसआईआर पर बहस भी संसद में पूरी हो चुकी है।

W.P.(C) No.000640/2025 में दिनांक 10.12.2025 को बहस में कई प्रश्न उठाये गये। खण्डपीठ ने स्वंय भी कई प्रश्न उठायें हैं, बहस चल रही है।

आईये सर्वोच्च न्यायालय के अन्तिम निर्णय की प्रतीक्षा करें तथा चुनाव सुधारों पर देश भर में चर्चा हो, नया चुनाव सुधार कानून बने और देश तीसरी शक्ति बनकर अपनी छवि संसार के समक्ष पेश करे।

सबको सन्मति दे भगवान।

–अतिथि सम्पादक,
पानाचन्द जैन,
पूर्व न्यायाधीश, राजस्थान हाई कोर्ट

दैनिक नवज्योति
Jaipur City - 12 Dec 2025 - Page 1

बीएलओ विजय गुर्जर की तबीयत बिगड़ी, हुई मौत

परिजनों का आरोपः काम के दबाव में हुई मौत

न्यूज सर्विस/ नवज्योति, कोटपूतली। शहर में एसआईआर कार्य में नियुक्त बीएलओ की तबीयत बिगड़ने से मौत का मामला प्रकाश में आया है। मृतक विजय गुर्जर करवास गांव के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में शिक्षक और कोटपूतली के भाग संख्या-78 में बीएलओ का कार्य कर रहे थे। देर रात ऑफिस से घर लौटते समय रास्ते में उसकी तबीयत बिगड़ गई। लोगों ने उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मृतक का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है। परिजनों का कहना था कि विजय पर काम का अत्यधिक दबाव था, जिससे वह गत कई दिनों से डिप्रेशन में था। इधर मृतक के चाचा बुधराम गुर्जर ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा मामले की जांच की मांग की है।

प्रशासन ने आरोप नकारा : एसडीएम रामावतार मीणा ने मृतक के परिजनों के आरोपों को खारिज किया है। उन्होंने कहा कि एसआईआर का काम 4 दिसंबर को पूरा हो चुका था और प्रशासन की तरफ से विजय पर कोई दबाव या नोटिस नहीं था।

पंजाब केसरी
FRI, 12 DECEMBER 2025
EDITION: JAIPUR, PAGE NO. 7

एसआईआर कार्य के दबाव में बीएलओ विजय गुर्जर की मौत

जिला अस्पताल में लगा जमावड़ा

कोटपूतली-बहरोड़, 11 दिसंबर (आनंद पंडित): एसआईआर प्रक्रिया में बूथ लेवल ऑफिसर के रूप में तैनात विजय गुर्जर की अचानक तबीयत बिगड़ने से हुई मौत ने पूरे क्षेत्र को झकझोर दिया है। करवास राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में शिक्षक पद पर कार्यरत और वार्ड 78 के बीएलओ रहे विजय बुधवार देर रात घर नहीं लौटे तो परिजनों ने उनकी तलाश शुरू की।

इसी दौरान जानकारी मिली कि रास्ते में तबीयत बिगड़ने पर लोगों ने उन्हें तुरंत राजकीय बीडीएम जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। परिजनों का आरोप है कि विजय कई दिनों से लगातार मानसिक दबाव, तनाव और डिप्रेशन में चल रहे थे। चाचा बुधराम गुर्जर ने बताया कि बुधवार शाम लगभग 5 बजे की बातचीत में विजय ने 200 लॉक्ड नामों के सत्यापन को लेकर गहरी चिंता व्यक्त की थी। उनका कहना था कि अधिकांश लोग पलायन कर चुके हैं, जिससे सत्यापन चुनौतीपूर्ण हो गया था। विजय अपने पीछे 17 वर्षीय बेटे दीपक और 15 वर्षीय बेटी अर्चना को छोड़ गए हैं, जिससे परिवार पर गहरा सदमा पड़ा है। घटना की सूचना मिलते ही गुरुवार सुबह एसडीएम रामावतार मीणा, डीएसपी राजेन्द्र कुमार बुरड़क, तहसीलदार रामधन गुर्जर, थानाधिकारी राजेश कुमार शर्मा सहित प्रशासनिक टीमें अस्पताल पहुंचीं और स्थिति की जानकारी ली। वहीं पूर्व संसदीय सचिव रामस्वरूप कसाना, कांग्रेस नेता देव कसाना, भीम पटेल सहित कई शिक्षक संगठनों के पदाधिकारी और नेता भी बड़ी संख्या में अस्पताल पहुंचे। जिला शिक्षा अधिकारी प्रकाश चंद मीणा, एसबीईओ पूरणचंद कसाना और दयाराम चौरडिया भी मौके पर मौजूद रहे और परिजनों को सांत्वना दी। एसडीएम रामावतार मीणा ने स्पष्ट किया कि स्क्रूक्कार्य 4 दिसंबर को ही पूरा हो चुका था और प्रशासन द्वारा किसी भी प्रकार का दबाव नहीं बनाया गया था। उन्होंने कहा कि बीएलओ की लगातार काउंसलिंग और सहायता की जा रही थी। वहीं परिजनों की मांग के बाद पुलिस ने मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया और मृतक के चाचा बुधराम गुर्जर की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

कोटपूतली : एसडीएम को घटना की जानकारी देते परिजन व (इनसेट में)मृतक बीएलओ विजय गुर्जर।

कोटपूतली में बीएलओ की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत

पहले बताया आत्महत्या, फिर कहा-रास्ते में गिरने से हुई मौत

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

कोटपूतली. एसआइआर के बीच कोटपूतली विधानसभा क्षेत्र के भाग संख्या 78 के बीएलओ की बुधवार रात संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजनों ने शुरुआत में इसे तनाव और दबाव के चलते आत्महत्या बताया था, लेकिन बाद में कहा कि वे स्कूल से लौटते समय रास्ते में गिर पड़े, जिससे उनकी मौत हो गई। प्रशासन का कहना है कि मौत का वास्तविक कारण मेडिकल बोर्ड की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद सामने आएगा। बीएलओ पर काम का कोई दबाव नहीं था। बीएलओ विजय गुर्जर (42) पुत्र नत्थूराम कस्बे में पीथावाली कॉलोनी के निवासी हैं। पिछले कई दिनों से परिगणना पत्रों के डिजिटाइजेशन, मैपिंग और सत्यापन कार्य में लगे हुए थे। उनके हिस्से में आए क्षेत्र में 200 से अधिक वोट ऐसे बताए जा रहे थे, जो वर्ष 2002 की मतदाता सूची में पूर्व बीएलओ की त्रुटि के कारण दर्ज नहीं हो पाए थे, जिनकी मैपिंग नहीं हो रही थी।

विजय गुर्जर

परिजनों का कहना है कि गैर सत्यापित नामों के सत्यापन को लेकर विजय लंबे समय से मानसिक तनाव में थे। उनके चाचा बुधराम ने बताया कि बुधवार शाम उन्होंने खुद फोन कर बताया था कि 200 से ज्यादा गैर सत्यापित नाम हैं, अधिकारी इनके सत्यापन व मैपिंग का दबाव बना रहे हैं।

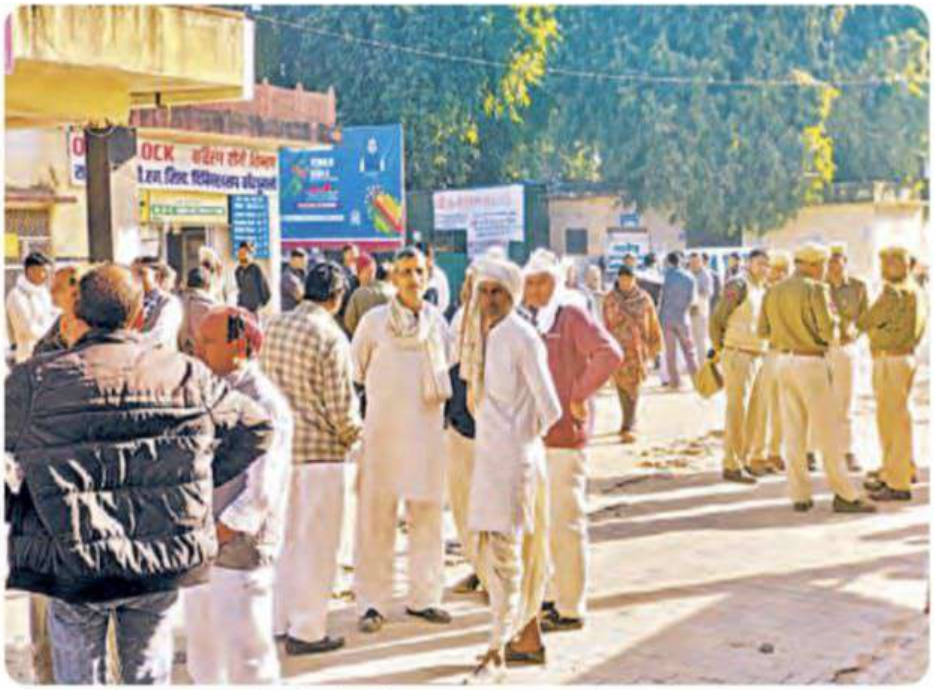

कोटपूतली . बीएलओ की मौत के बाद अस्पताल के बाहर लोग।

एसआइआर कार्य के दौरान चार की मौत

- **30 नवंबर** को धौलपुर में तैनात बीएलओ अनुज गर्ग रात को कार्य निपटा रहे थे अचानक तबियत बिगड़ गई, परिजन अस्पताल ले गए जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया।
- **20 नवंबर** को हिण्डौनसिटी के संतराज माली के सीने में अचानक दर्द उठा और अस्पताल में मौत हो गई। वे सर्कल सुपरवाइजर का कार्य देख रहे थे।
- **19 नवंबर** को सवाईमाधोपुर के बहरावण्डा में तैनात बीएलओ हरिओम बैरवा की कार्य में तनाव के चलते हार्ट अटैक से मौत हो गई।
- **16 नवंबर** को जयपुर के बिंदायका में तैनात बीएलओ ने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। सुसाइड नोट में उन्होंने एसआइआर कार्य से परेशाान होने का आरोप लगाया था।

उन पर पेंडिंग काम का दबाव नहीं था

बीएलओ विजय का कार्य 4 दिसंबर को ही पूरा मान लिया गया था और उनके ऊपर कोई पेंडिंग काम का दबाव नहीं था। उन्होंने मैपिंग की समस्या बताई थी, इसलिए उनके साथ सहायक कर्मचारी भी लगाए गए थे। - **रामावतार मीना,** एसडीएम, कोटपूतली

रिपोर्ट आने के बाद कारण स्पष्ट होगा

परिजनों की रिपोर्ट के अनुसार बीएलओ की मौत स्कूल से घर लौटते समय रास्ते में गिरने से हुई है। पोस्टमार्टम करवा कर शव परिजनों को सौंप दिया है। रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट होगा कि मौत किस कारण से हुई है। - **राजेंद्र बुरडक,** पुलिस उपाधीक्षक, कोटपूतली

भास्कर खास एसआईआर की सुखद तस्वीर; परिवार से बिछड़ी बुजुर्ग महिला बाधो का घर बीएलओ ने ढूंढ़ा...घर वापसी भी करवाई

SIR ने अपनों से मिलवाया

20 साल पहले कलह में घर छोड़ा, नहर किनारे चप्पलें देख परिजनों ने ढूंढ़ा...नहीं मिली तो मृत मान लिया, 5GB में नाम बदल रह रही थीं

डीडी पारीक|जैतसर

यह कहानी है 75 वर्षीय बाधो देवी की। बीस बरस पहले गृह क्लेश के चलते बाधो घर छोड़कर चली गई थी। तलवाड़ा खुर्द की मूल निवासी बाधो को परिजनों ने खूब ढूंढ़ा मगर नहीं मिली। थाने में गुमशुदगी दर्ज करा दी। इस बीच बाधो की चप्पलें गांव के पास एक नहर किनारे मिली। गोताखोरों की मदद से तलाश की मगर नहीं मिली। 10-12 दिन बाद भी कोई सुराग नहीं मिला तो परिजनों ने बाधो को मृत मान लिया। इस बीच बाधो ट्रेन से सूरतगढ़ और फिर जैतसर के 5 जीबी आकर रहने लगी। यहां लोगों के घर झाड़ू पोचा और चुगाई कर पेट पालने लगी। बाधो ने यहां सबको अपना नाम सावित्री बताया। अब अचानक एसआईआर ने परिवार को खुशियां लौटा दी हैं। बीएलओ सुनीता ने बाधो के परिजन ढूंढ़ निकाले और उसे उसके परिवार से मिला दिया है। मां को देखकर बेटे देवीलाल की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मां भी फूट-फूटकर रोने लगी।

फर्स्ट पर्सन — पहली ही बार में मुझे कुछ गड़बड़ लगी तो मैं 6 बार उनसे मिली

सुनीता देवी, बीएलओ
(इन्हीं के प्रयास से बाधो अपनों से मिली हैं।)

जब मैं पहली बार उस महिला से मिली तो उसने अपना नाम सावित्री देवी बताया। लेकिन बातचीत के दौरान उसकी बातें कुछ उलझी हुई लगीं। इसलिए मैं अगले दिन फिर गई। मुझे कुछ शक हो रहा था तो मैं उनसे 6 बार उसी काम से उनके पास पहुंची। हर बार बातचीत में कुछ न कुछ नया मिलता रहा। धीरे-धीरे उसने अपने गांव, जिला और राज्य की जानकारी अलग-अलग ढंग से बतानी शुरू की। एक दिन उसने खुद आगे बढ़कर कहा- 'मेरा असली नाम बाधो देवी है।' बस, वहीं से मैंने उसकी तलाश शुरू कर दी।

मैंने तुरंत तलवाड़ा खुर्द की वोटर लिस्ट ऑनलाइन चेक की। वहां के बीएलओ से बात की। आश्चर्य की बात यह थी कि बाधो देवी नाम की महिला और उसके पूरे परिवार का रिकॉर्ड वहां मौजूद था। सब कुछ एकदम मैच कर गया। मुझे उस वृद्ध महिला की आंखों में एक दर्द दिखाई दिया। एक ऐसा दर्द, जो शायद अपनों से बिछड़ने और अकेलेपन की वजह से था। मैंने ठान लिया कि अब बाधो देवी को उसके परिवार से जरूर मिलवाऊंगी। इसके बाद मैंने संपर्क साधने की प्रक्रिया शुरू की। जब परिवार से बात हुई और बताया की बाधो देवी मिल गई हैं, उनकी आवाज ही बदल गई। सबकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। गुरुवार को जब उनका परिवार सामुदायिक केंद्र पहुंचा तो वह दृश्य सच में भावुक कर देने वाला था। पुलिस ने भी पूरी मदद की। इस काम के बाद मुझे भी बड़ा सुकून महसूस हो रहा है।

जानिए, बाधो से सावित्री बनने की कहानी

20 साल पहले: बाधो के तीन बेटे और एक बेटी है। 20 साल पहले छोटे बेटे से मामूली कहासुनी पर बाधो देवी पति व बच्चों को छोड़कर घर से निकल गई थी। परिजनों ने ऐलनाबाद में बाधो देवी की गुमशुदगी दर्ज करवाई। बाधो जैतसर क्षेत्र में आकर रहने लगी। तीन साल दो-तीन गांवों में रही और अब 17 साल से सावित्री बनकर 5 जीबी के सामुदायिक भवन में रह रही थी। पहले बाधो इसी गांव में एक कच्चे घर में रहती थीं। 8 साल पहले बारिश में वह कच्चा कमरा बाधो के ऊपर गिर गया था मगर बच गई थी। तब ग्रामीणों ने सामुदायिक भवन में ठहराया।

20 साल बाद: बीएलओ सुनीता देवी एसआईआर के चलते लगातार 6 बार सावित्री देवी यानी बाधो से मिलती रही। बातों ही बातों में बीएलओ सुनीता को दाल में कुछ काला लगा। सुनीता ने तरीके से बाधो से उसका पुराना पता और परिवार के बारे में पता लगा लिया। सुनीता ने तलवाड़ा के बीएलओ से बात करने के बाद जैतसर पुलिस से संपर्क किया। पुलिस थाना से एएसआई छोटूराम, हैड कांस्टेबल प्रकाश कौर व चालक पृथ्वी राम के नेतृत्व में टीम तलवाड़ा खुर्द पहुंची। परजिनों को बाधो के बारे में बताया तो परिजन गुरुवार को बाधो को अपने साथ ले गए।

घर-घर जाकर मतदाता सूची का पुनरीक्षण

बोहत @ पत्रिका. निर्वाचन विभाग की तरफ से हो रहे गहन पुनरीक्षण कार्य के तहत मतदाता सूची संशोधन एसआईआर कार्य के तहत बीएलओ घर-घर जाकर परिगणना प्रपत्र भर रहे हैं। इस कार्य में मतदाता भी बीएलओ की मदद कर रहे हैं। बीएलओ निरंजन पंकज, सफात अंसारी सुपरवाइजर राजमल मीणा ने बताया कि बोहत कस्बे के वार्ड नं 1.2.3. भाग संख्या 95,97 मांगरोल बारां मार्ग, गौलाना बस्ती, मालियों का मोहल्ला,बस स्टैंड में विशेष संक्षिप्त गहन पुनरीक्षण का कार्य किया गया।इस दौरान सभी मतदाताओं से उनके विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र क्रम संख्या, भाग संख्या, क्रम संख्या की जानकारी लेकर प्रपत्रों को भरा जा रहा है।

बेहतरीन कार्य करने पर बीएलओ का वार्डवासियों ने किया सम्मान

फतेहपुर. कस्बे में स्थित लक्ष्मीनाथ कॉलोनी इलाके के लोगों ने एसआइआर के तहत बेहतरीन कार्य करने पर बीएलओ का सम्मान किया। मुन्ना जोशी ने बताया कि बीएलओ समसुदीन व सन्तोष शर्मा ने एसआइआर के तहत उत्कृष्ट कार्य किया। बीएलओ समसुदीन व सन्तोष शर्मा का माला दुपट्टा पहनाकर स्वागत एवं सम्मान किया। इस दौरान मुन्ना जोशी, निखिल भातरा, जेपी शर्मा, प्रमोद कुमार सैनी, लक्की जोशी, महेंद्र बना, विजेन्द्र कुमार का योगदान सराहनीय रहा। इस अवसर पर बीएलओ समसुदीन ने विश्वास दिलाया कि वे वंचित व नव मतदाताओं का नाम जुड़वाने में पूर्ण सहयोग करेंगे। इस दौरान सरला जोशी, सरिता जोशी, रेखा जोशी, डॉ. शिव शर्मा, मुन्ना जोशी, योगेश महर्षि, लोकेश प्रजापत जोशी, गोविन्द शर्मा, आनन्द प्रजापत, महेन्द्र सिंह, रवि, विजेन्द्र कुमार, महेश, दीपक शर्मा, रोहिताश सिंह शेखावत, गोपाल चोटिया, मनोज शर्मा, धनश्याम वर्मा,राहुल जांगिड़ आदि थे।

एसआइआर प्रपत्र भरने में दिखी बीएलओ की संवेदनशीलता

एसआईआर की बदौलत बीस साल बाद परिवार से मिली गुमशुदा महिला

जैतसर @ पत्रिका. केन्द्रीय निर्वाचन आयोग के मतदाता गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम (एसआइआर) के दौरान बीएलओ और पुलिस की सतर्कता से एक गुमशुदा महिला को करीब बीस साल बाद उसके परिवार से मिलाया गया। गांव पांच जीबी में सामुदायिक भवन में अकेली रह रही बादू देवी लंबे समय से परिवार से अलग होकर एकाकी जीवन जी रही थी।

एसआइआर के दौरान बीएलओ संतोष बिश्नोई ने जब बादू देवी से मतदाता पहचान पत्र और वर्ष 2002 की मतदाता सूची संबंधी जानकारी मांगी तो उन्होंने आनाकानी की। उन्होंने भरोसे में बात की और विवरण लेना जरूरी बताया तो बादू देवी पत्नी लेखराम कुम्हार ने पुराने रिकॉर्ड में अपना नाम तलवाड़ा खुर्द (ऐलनाबाद) हरियाणा की मतदाता सूची में होना बताया। इस पर बीएलओ ने स्थानीय पुलिस के सहयोग से संबंधित थाने व ऑनलाइन मतदाता सूची से महिला के परिजनों का पता लगाया।

बीस साल पहले पारिवारिक अनबन के बाद बादू देवी घर छोड़कर चली गई थी। नहर के पास उसकी चप्पलें मिलने पर आत्महत्या का अंदेशा होने से परिजनों ने नहीं तलाशा। सूचना मिलने पर गुरुवार को महिला का पुत्र देवीलाल, पुत्रवधु रोशनी और पोता राज वर्मा जैतसर पहुंचे, जहां पुलिस ने महिला को परिजनों को सौंप दिया। ग्रामीणों ने बीएलओ संतोष बिश्नोई और पुलिस टीम की पहल की सराहना की।

फोटो-वीडियो देखने के लिए क्यूआर कोड स्कैन करें...

एसआइआर फॉर्म भरवाने की समयसीमा समाप्त

जयपुर @ पत्रिका. मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) के अंतर्गत राजस्थान सहित 5 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में फॉर्म भरवाने की समयसीमा गुरुवार को पूरी हो गई। मतदाता सूचियों का ड्राफ्ट 16 दिसंबर को जारी होगा।

राजस्थान में एसआईआर का काम पूरा

यूपी समेत 6 राज्यों में बढ़ाई एसआईआर की समयसीमा

नई दिल्ली | निर्वाचन आयोग ने गुरुवार को 6 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की समयसीमा बढ़ा दी है। यह फैसला संबंधित राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के अनुरोध पर लिया गया है। आयोग ने एक बयान में बताया कि तमिलनाडु और गुजरात में अब यह सर्वे 14 दिसंबर तक चलेगा और ड्राफ्ट वोटर लिस्ट 19 दिसंबर को जारी की जाएगी। वहीं, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ और अंडमान-निकोबार में सर्वे की नई अंतिम तारीख 18 दिसंबर होगी और ड्राफ्ट लिस्ट 23 दिसंबर को जारी होगी। उत्तर प्रदेश में यह प्रक्रिया अब 26 दिसंबर तक चलेगी और ड्राफ्ट वोटर लिस्ट 31 दिसंबर को प्रकाशित की जाएगी। गोवा, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, राजस्थान और पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट संशोधन का काम गुरुवार को पूरा हो गया। इन राज्यों की ड्राफ्ट लिस्ट 16 दिसंबर को जारी की जाएगी। केरल के लिए पहले ही संशोधित कार्यक्रम जारी किया जा चुका है। वहां सर्वे 18 दिसंबर तक चलेगा और ड्राफ्ट वोटर लिस्ट 23 दिसंबर को जारी होगी। आयोग ने कहा है कि कोई भी योग्य वोटर छूटे नहीं, इसके लिए नए वोटरों को फॉर्म-6 भरने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।

आयोग ने कहा, कोई पात्र व्यक्ति नहीं छूटे

उत्तरप्रदेश समेत छह राज्यों में एसआईआर की तिथियां बढ़ाई

नई दिल्ली। चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात और तमिलनाडु तथा केंद्र शासित अंडमान निकोबार की मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के कार्यक्रम में गुरुवार को संशोधन की घोषणा की। आयोग ने इन पांच राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार के मुख्य चुनाव अधिकारियों के अनुरोध पर वहां एसआईआर फॉर्म जमा कराने और संशोधित मतदाता सूची के मसौदों के प्रकाशन की तिथियां बढ़ा दी हैं। आयोग की विज्ञप्ति के अनुसार उत्तर प्रदेश में एसआईआर फॉर्म जमा करने की तिथि 11 दिसंबर से बढ़ाकर 26 दिसंबर कर दी गई है और राज्य की संशोधित मतदाता सूची का मसौदा 31 दिसंबर को प्रकाशित किया जाएगा।

एमपी, छत्तीसगढ़ और अंडमान में 18 तक जमा होंगे एसआईआर फॉर्म : इसी तरह मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और केंद्र शासित अंडमान में एसआईआर फॉर्म जमा कराने की तिथि 18 दिसंबर और संशोधित मतदाता सूची के मसौदे के प्रकाशन की तिथि 23 दिसंबर कर दी गई है। गुजरात और तमिलनाडु में एसआईआर फॉर्म जमा करने की अंतिम तारीख 14 दिसंबर कर दी गई है और इन दोनों राज्यों की संशोधित मतदाता सूची का मसौदा 19 दिसंबर को जारी किया जाएगा। इन सभी जगहों पर एसआईआर फॉर्म जमा करने की तिथि गुरुवार को ही समाप्त हो रही थी। आयोग ने इससे पहले केरल में भी दोनों तिथियों में बदलाव किया था। आयोग ने कहा है कि यह फैसला यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया है कि नई सूची में किसी भी पात्र व्यक्ति का नाम नहीं छूटे।

उत्तर प्रदेश सहित छह राज्यों, केंद्र शासित क्षेत्रों में एसआईआर की तिथियां दोबारा बढ़ायी

नई दिल्ली (एजेंसी)। चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात और तमिलनाडु तथा केंद्र शासित अंडमान निकोबार की मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के कार्यक्रम में गुरुवार को संशोधन की घोषणा की। आयोग ने इन पांच राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार के मुख्य चुनाव अधिकारियों के अनुरोध पर वहाँ मतगणना प्रपत्र जमा कराने और संशोधित मतदाता सूची के मसौदों के प्रकाशन की तिथियां बढ़ा दी हैं।

चुनाव आयोग ने यूपी समेत 6 राज्यों में एसआईआर की समय सीमा बढ़ाई

नई दिल्ली(ए)। चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश समेत 6 राज्यों में मतदाता सूची में चल रही स्पेशल इंटेंसिव रिविजन की समय सीमा को बढ़ा दिया है। चुनाव आयोग ने जिन राज्यों में एसआईआर की समय सीमा बढ़ाई है उनमें यूपी के अलावा गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु और अंडमान शामिल हैं। चुनाव आयोग के अनुसार छह राज्यों/यूटी के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर (सीईओएस) से मिली रिक्वेस्ट के आधार पर, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इन 6 राज्यों/यूटी में इलेक्टोरल रोल के चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (एसआईआर) के शेड्यूल में बदलाव किया है। खास बात है चुनाव आयोग ने बंगाल के शेड्यूल में कोई बदलाव नहीं किया है। माना जा रहा है था कि पश्चिम बंगाल में एसआईआर की समयसीमा बढ़ाई जा सकती है।

किस राज्य में क्या है नई तारीख–इसमें 01.01.2026 को क्वालिफाइंग तारीख माना गया है। तमिलनाडु और गुजरात में ड्राफ्ट रोल के प्रकाशित होने की संशोधित तारीख 19 दिसंबर है। ये पहले 14 दिसंबर थी। वहीं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और अंडमान निकोबार ड्राफ्ट रोल के प्रकाशित होने की तारीख को 18 दिसंबर से बढ़ाकर 23 दिसंबर किया गया है। यूपी में ड्राफ्ट रोल के प्रकाशित होने की नई तारीख 26 दिसंबर की बजाय 31 दिसंबर होगी।

5 राज्य, 1 यूटी में एसआईआर की समय सीमा बढ़ी

एमपी-छत्तीसगढ़ में 18, यूपी में 26 दिसंबर तक फॉर्म भर सकेंगे

नई दिल्ली। चुनाव आयोग ने गुरुवार को 5 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (एसआईआर यानी वोटर वेरिफिकेशन) की समयसीमा बढ़ा दी। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और अंडमान-निकोबार में 18 दिसंबर तक फॉर्म भर सकेंगे। उत्तर प्रदेश में 26 दिसंबर, गुजरात और तमिलनाडु में 14 दिसंबर तक फॉर्म भरे जा सकेंगे। पहले फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 11 दिसंबर थी। आयोग ने बताया कि गोवा, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, राजस्थान और पश्चिम बंगाल के लिए समयसीमा गुरुवार को ही समाप्त होगी और ड्राफ्ट मतदाता सूची 16 दिसंबर को पब्लिश की जाएगी। केरल में पहले ही अखिरी तारीख 18 दिसंबर कर दी गई थी जिसका ड्राफ्ट 23 दिसंबर को पब्लिश होगा। चुनाव आयोग ने 30 नवंबर को स्ट्रक की समयसीमा एक सप्ताह बढ़ाने का फैसला किया था।

छात्रों को एसआईआर की जानकारी दी

जैसलमेर(मरुमहिमा)। गाँधी बाल मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय में जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर), मुख्य कार्यकारी अधिकारी (स्वीप प्रकोष्ठ नोडल अधिकारी) रश्मि रानी एवं स्वीप प्रकोष्ठ समन्वयक के निर्देशानुसार मेंएसआईआर प्रणाली पर आधारित एक व्यापक एवं तकनीकी रूप से उन्नत मतदाता जागरूकता एवं डिजिटल सक्षमता गतिविधि आयोजित की गई।

गाँधी बाल मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम अन्तर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस को केंद्र में रखते हुए हमारे वोट का संविधानिक महत्व बताते हुए आ[illegible] के संदर्भ में एसआईआर के संब[illegible] पुनरीक्षण से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ शिक्षकों एवं विद्यार्थियों को प्रदान कीं। स्वीप प्रकोष्ठ के गोविन्द गर्ग की ओर से एसआईआर प्रणाली की जानकारी देते हुए कहा कि एसआईआर आधार तिथि 1 जनवरी 2026 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके मतदाताओं को पंजीकृत करते हुए फॉर्म–6 ऑनलाइन या ऑफलाइन भरकर बीएलओ के माध्यम से अपना नाम मतदाता सूची में जुडवा सकते हैं। कार्यक्रम में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी वीएचए सक्षम एप की जानकारी दी गई।

कार्यक्रम में प्रधानाचार्य बोहरा ने मय स्टाफ ने कार्यक्रम को सफल बनाने में सक्रिय सहभागिता प्रदान की गई। इसी प्रकार आज राजकीय कन्या महाविद्यालय में ईएलसी क्लब द्वारा "आज हमारा वोट का संवैधानिक अधिकार एवं नैतिक कर्तव्य" पर भाषण प्रतियोगिता का आयोजन ईएलसी प्रभारी विनोद कुमार बिश्नोई द्वारा किया गया।

एसआइआर में लोहावट विधानसभा क्षेत्र रहा अव्वल, निर्धारित समय से पहले कार्य हुआ पूर्ण

बाधाएं बनी चुनौती, संकल्प बना शक्ति : बीएलओ ने समय से पहले पूरा किया एसआइआर

लोहावट विधानसभा क्षेत्र ने निर्वाचन आयोग के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम (एसआइआर) में शत-प्रतिशत डिजिटाइजेशन व ऑनलाइन मैपिंग में प्रदेश में प्रथम स्थान हासिल किया।

लोहावट @ पत्रिका. भारत निर्वाचन आयोग के एसआइआर के तहत लोहावट विधानसभा क्षेत्र ने शत-प्रतिशत डिजिटाइजेशन कार्य समय से पूर्व पूरा करते हुए ऑनलाइन मैपिंग में प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया। इस उपलब्धि में क्षेत्र के सभी बीएलओ और संबंधित कार्मिकों की महत्वपूर्ण भूमिका रही, जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों के बावजूद कार्य को प्राथमिकता देते हुए जिम्मेदारी निभाई।

कार्यक्रम की शुरुआत में प्रशिक्षण के लिए जाते समय पीलवा के निकट ऊंट के अचानक बाइक पर गिर जाने से उन्हें गंभीर चोटें आईं। घुटने में चोट के कारण डोर-टू-डोर कार्य अत्यंत कठिन रहा, फिर भी उन्होंने ग्रामवासियों के सहयोग से एसआइआर कार्य समय से पूर्व पूरा किया।

-हनुमानदान चारण, बीएलओ, भाग संख्या 42, जैतसर

एसआइआर के दौरान 1 नवम्बर को पुत्री का विवाह था। विवाह की तैयारियों के साथ-साथ ऑनलाइन मैपिंग का कार्य भी जारी रखा। 17 नवम्बर को कमर और गर्दन के दर्द के चलते चिकित्सकों ने आराम की सलाह दी, लेकिन राष्ट्रीय महत्व के इस कार्य को उन्होंने निर्धारित समय से पहले पूर्ण किया।

- दुर्गाराम बिरठ, बीएलओ, भाग संख्या 81, कोलू पाबूजी

लोहावट बैठक से लौटते समय अंधेरे में बाइक सड़क पर दौड़कर आई गाय से टकरा गई, जिससे घुटने और हाथ में गंभीर चोट आई। चलना भी मुश्किल था, फिर भी परिवार, मित्रों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी, पंचायत सहायक अनोपाराम और बीएलओ मोटाराम के सहयोग से कार्य को समय से पूर्व शत-प्रतिशत पूरा किया। **नरूराम चौधरी, बीएलओ,** भाग संख्या 200

विधानसभा क्षेत्र के बीएलओ व अन्य कार्मिकों ने पूरी मेहनत व लगन के साथ एसआइआर का कार्य किया, जो कि प्रशंसनीय है। टीम भावना के कार्य से हमने शत-प्रतिशत डिजिटलाइजेशन व ऑनलाइन मैपिंग में राज्य में प्रथम स्थान पर रहे। हमने एसआईआर का कार्य शुरू होने के साथ ही लक्ष्य को प्राप्त करने में जुट गए।

रविप्रकाश, ईआरओ, विधानसभा क्षेत्र, लोहावट

वर्ष 2021 में हुए दुर्घटना के बाद से उनका उपचार चल रहा है और एक पैर की हड्डी अभी भी नहीं जुड़ी है। जून 2025 में पुनः ऑपरेशन हुआ, जिससे चलने-फिरने में असमर्थ हूं, बावजूद इसके उन्होंने चार पहिया वाहन की सहायता से घर-घर जाकर एसआइआर कार्य समय से पूर्व पूरा किया।

जेठूसिंह राठौड़, बीएलओ, भाग संख्या 189, निम्बों का तालाब

एसआइआर के दौरान 19 नवम्बर को भाभी का देहांत हो गया। उसी दिन जिला कलक्टर का आकस्मिक निरीक्षण भी था। परिवार में विवाह, मायरा और अन्य कार्यक्रमों के बावजूद अपने दायित्व को सर्वोपरि रखते हुए एसआइआर कार्य पूर्ण किया।

दुर्गसिंह भाटी, बीएलओ, भाग संख्या 203

जैतसरः बादो देवी को एसआईआर ने 20 साल बाद परिजनों से मिलवाया

पुलिस थाना के एएसआई छोटू राम, व चालक पृथ्वी राम का रहा विशेष योगदान

सीमासन्देश#जैतसर। पुलिस थाना में गुरुवार को 20 साल से गुमशुदा बादो देवी को पुलिस के सहयोग से परिजनों को सौंप गया। इस दौरान माहौल मार्मिक हो गया। जानकारी अनुसार गांव तलवाड़ा खुर्द की रहने वाली बादो देवी 20 वर्ष पूर्व घरेलू कलह के चलते घर से चली गई थी। परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। इस दौरान परजिनों को बादो देवी की चप्पल तलवाड़ा के पास नहर के किनारे मिली थी। इस पर ऐलनाबाद पुलिस थाना में गुमशुदगी का मामला दर्ज करवाया गया। कुछ दिन पूर्व मतदाता गहन पुनरीक्षण अभियान के अंतर्गत बीएलओ ने गांव 5 जीबी में रह रही बादो देवी से जानकारी मांगी तो उसने खुद को तलवाड़ा खुर्द ऐलनाबाद हरियाणा का बताया। बीएलओ ने ऑनलाइन तलवाड़ा खुर्द की वोटर लिस्ट को चैक किया तो बादो देवी के परिजनों का पता चल गया। बीएलओ ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। पुलिस थाना से एएसआई छोटूराम, हैड कांस्टेबल प्रकाश कौर व चालक पृथ्वी राज तलवाड़ा खुर्द गए और बादो देवी के परिवार की जानकारी जुटाई। गुरूवार को बादो देवी का पुत्र देवीलाल, पुत्र वधू रोशनी, पोत्र राज वर्मा उसे पुलिस थाना पहुंचे और बादो देवी को अपने साथ लेकर अपने घर चले गए। 20 साल बाद बादो देवी के परिजनों से मिलने पर पुलिस स्टाफ के भी आंखों में खुशी के आंसू आ गए।